

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 1970/पोष 1, 1892

N. 213] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 1970/PAUSA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

ORDER

New Delhi, the 21st December 1970

G.S.R. 2050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and of all other powers hereunto enabling, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 42 dated the 13th January, 1968 (relating to the constitution of a Joint Cadre of the Indian Administrative Service for all the Union Territories), the Central Government hereby constitutes for all the Union Territories and the area of the North East Frontier Agency a Joint Cadre of the Indian Administrative Service with effect from the date of publication of this Order in the Gazette of India.

[No. 13/3/67-AIS(I).]

ANNA R. GEORGE. Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्यिक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 2050 .--भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954, के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 60) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा के संयुक्त संवर्ग के गठन से संबंधित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 42, दिनांक 13 जनवरी, 1958 का अंशिकरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, सभी संघ शासित क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व सीमांत प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए, इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, भारतीय प्रशासन सेवा के संयुक्त संवर्ग का गठन करती है।

[स० 13/3/67-प्र० भा० से० (1)]

अन्ना आर० जार्ज० संयुक्त सचिव।